

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... विकास गादि ..... बनाम ..... रानीत सिंह आदि  
 प्रकरण संख्या ..... 37 ..... / 2021 अन्तर्गत धारा ..... 88, 188 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
18 <sup>7</sup> / <sub>23</sub>	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29/8/23 को पेश हो। <u>Karmal</u>	
29 <sup>08</sup> / <sub>23</sub>	द्वि संघ को कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब <u>अध्य कार्यवाही</u> पत्रावली दिनांक 31/08/23 को पेश हो	
31 <sup>08</sup> / <sub>23</sub>	वादीगण व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादीगण व वादी अधिवक्ता को सूक-र कर उबार आवण लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण का वादपत्र अन्तगत धारा 88, 188 RTA अदम पेशवी, अदम हाजरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल नफुतर हो।	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्रीकरणपुर

